न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 169/2025

दायर दिनांक 30.04.2025

निर्णय दिनांक 08.07.2025

उनवान

1. मथुरा पुत्र काशु जाट निवासी लापिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा–राज।
2. ओंकार पुत्र देवी जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
3. गीता पुत्री देवी जाट, उम्र वयस्क निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज
4. बाली पत्नी देवी जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
5. रामकन्या पुत्री देवी जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
6. शिवराज पुत्र देवी जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
7. हरफूल पुत्र देवी जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरा पुत्र ओंकार जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
2. नन्दा पुत्र अमरचंद जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
3. बद्री पत्र काना जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
4. भंवर पुत्र रूपा जाट, उम्र वयस्क निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज
5. प्रेमचंद पुत्र कालु जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
6. बंशी पुत्र नन्दा जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
7. उगमा पुत्र रामसुख जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
8. बंशी पुत्र रामसुख जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
9. बालु पुत्र भारू जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
10. बालू पुत्र नारायण लाल पाण्डिया ब्राहमण, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा।
11. शंकर तेली पुत्र गोकुल तेली तेली, निवासी छापरी जिला भीलवाडा–राज।
12. देवी तेली पुत्र छोगा तेली तेली, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
13. सांवरा तेली पुत्र उगमा तेली तेली, निवासी छापरी जिला भीलवाडा–राज।
14. मांगु लाल पुत्र रामचन्द्र ब्राहमण, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
15. रतन लाल पुत्र जमना ब्राहमण, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
16. पप्पू लाल पुत्र श्री शांति लाल जैन, निवासी सांगानेरी गेट, भीलवाडां–राज।
17. शंकर पुत्र गणेश जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
18. जगदीश पुत्र काना जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
19. नाना पुत्र काना जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
20. प्रेम पुत्र काना जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
21. बद्री पुत्र काना जाट निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
22. महेन्द्र पुत्र पन्ना जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

23. हीरालाल पुत्र श्रीराम जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
24. कमला पत्नी श्रीराम जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
25. रामु पुत्री श्रीराम जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
26. समता पुत्री श्रीराम जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा–राज।
27. जेतु पुत्री मोडी जाट, निवासी छापरी तहसील व जिला भीलवाडा (राज०)।
28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाडा

-- विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री प्रकाश देवाणी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 04 से लगायत 27 उपस्थित नहीं
3. अप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता श्री विवेकानन्द शर्मा उपस्थित।

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम छापरी पटवार हल्का पालडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा की खसरा संख्या 1188, 1512/1039, 513/1111, 200, 205, 224, 717 कुल किता 7 कुल रकबा 1.3403 हैक्टयर, एवं खसरा संख्या 1033, 1034, 1035 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5437 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1031, 1036, कुल किता 2 कुल रकबा 0.0885 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 1187 रकबा 0.0379 हेक्टयर, एवं खसरा संख्या 1110 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आंराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 व 04 से लगायत 27 उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 03 अधिवक्ता द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मौके पर फसल बोई जा चुकी है जिसेसे प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम छापरी पटवार हल्का पालडी भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा की खसरा संख्या 1188, 1512/1039, 513/1111, 200, 205, 224, 717 कुल किता 7 कुल रकबा 1.3403 हैक्टयर, एवं खसरा संख्या 1033, 1034, 1035 कुल किता 3 कुल रकबा 0.5437 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 1031, 1036, कुल किता 2 कुल रकबा 0.0885 हैक्टेयर, एवं खसरा संख्या 1187 रकबा 0.0379 हेक्टयर, एवं खसरा संख्या 1110 रकबा 0.0632 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 08-09-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षत कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा